

(देखिए धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956)

60/2018
 5/6/18

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
 मसूदा

विषय- जमाबन्दी खाता 110 में इन्द्राज दुरुस्ती के क्रम में।
 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डुलीडी की जमाबन्दी में खाता संख्या 110 पर आवेदक का नाम लाफ्टाई बालू लाल शर्मा दर्ज है जबकि आवेदक का सही नाम राजेश डी बंस आरू राव 110 है अतः आवेदक के खाते में सही नाम दर्ज कराने की कृपा करावें।

सलंगन- साक्ष्य दरतावेज

ड. मिश्रा

हस्ताक्षर गवाह मय नाम

प्रार्थी के हस्ताक्षर

जांच रिपोर्ट

महोदय,
 रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2070-2073 ग्राम डुलीडी के खाता संख्या 110 में प्रार्थी लाफ्टाई बालू लाल शर्मा जाति/प्रविष्टि डी बंस आरू राव 110 दर्ज है इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम प्रविष्टि राजेश डी बंस आरू राव 110 सही करवाना चाहता है मैंने इसकी जांच करली है। प्रस्तावित प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित जाति/नाम दर्ज किया जाना उचित है।

राजेश डी बंस
 हस्ताक्षर पटवारी हल्का

राजेश
 हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक

नायब तहसीलदार

कार्यालय तहसीलदार (भू-अभिलेख) मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक भू.अ./2018/08

दिनांक 8-6-18

मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू-अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी लाफ्टाई बालू लाल शर्मा जाति डी बंस आरू राव 110 रिकार्ड राजेश डी बंस आरू राव 110 नाम/जाति/प्रविष्टि राजेश डी बंस आरू राव 110 दर्ज है जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर राजेश डी बंस आरू राव 110 दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

राजेश डी बंस
 तहसीलदार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर) राज०

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक/ रीडर 118 193

दिनांक 8-6-18

स्वीकृति आदेश
 तहसीलदार मसूदा/विजयनगर की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री लाफ्टाई बालू लाल शर्मा जाति डी बंस आरू राव 110 राजेश डी बंस आरू राव 110 निवासी डुलीडी का नाम/जाति/प्रविष्टि राजेश डी बंस आरू राव 110 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजेश डी बंस आरू राव 110 के स्थान पर राजेश डी बंस आरू राव 110 दुरुस्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 मसूदा (अजमेर) राज०

